न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 139 / 2022

रजनीश पुत्र मैनपाल जाति बिश्नोई साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट संशोधन बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई — प्रार्थी
2. राज पैरोकार — अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09/07/2025

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी श्री शैलेन्द्र बिश्नोई द्वारा प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अकिंत है। यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एचडीपी के खाता सं. 41/86 के प. नं. 3/262 (58) किला नं. 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, प.नं. 4/262 (59) किला नं. 1 ता 25 की कुल 8.425 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 1/18 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम रजनी कुमार अकिंत है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम रजनीश है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पुरानी जमाबंदी सं. 2069 से 2072 के विरास्तन इन्तकाल में, जनआधार कार्ड, अंकतालिका आदि में प्रार्थी का नाम रजनीश अकिंत है। चित्रप्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पुरानी जमावंदी सं. 2069 से 2072 के विरास्तन इन्तकाल में, जनआधार कार्ड, अंकतालिका सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम रजनी कुमार दर्ज होने से प्रार्थी को केसीसी ऋण लेने, टयुबवैल कनैक्शन लेने व अन्य सरकारी सुविधाओं के लाभ लेने में काफी परेशानी होती है। इसलिये प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रजनी कुमार के स्थान पर रजनीश दर्ज करवाना चाहता है।

यह कि अप्रार्थी जो कि भू धारक है तथा उक्त रिकार्ड की दुरूस्ती अप्रार्थी द्वारा ही की जानी है इस कारण पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एचडीपी के खाता सं. 41/86 के प.नं. 3/262 (58) इि. 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, प.नं. 4/262 (59) किला नं. 1 ता 25 की कुल 8.425 हैक. नहरी मय गैर

सहायक कलक्टर

मुमकिन खाला खातेदारी में प्रार्थी का नाम रजनी कुमार के स्थान पर रजनीश दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 1130 दिनांक 06.05.2025 से प्राप्त हुई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चक 4 एचडीपी के खाता स. 41 प० न० 32/262 (58) की 2.100 है० व प.न. 4/262(59) की 6.325 है० कुल 8.425 है नहरी मय गै. मु: खाला में प्रार्थी रजनी कुमार पुत्र मैनपाल 1/18 हि. जाति विश्नोई सा० लखासर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, अंक तालिका, जन आधार आदि में प्रार्थी का नाम रजनीशकुमार पुत्र मैनपाल दर्ज है, एंव उक्त भूमि प्रार्थी को जरिये विरासतन ई०न 424 से प्राप्त हुई है, जिसमें प्रार्थी का नाम रजनीकुमार पुत्र मैनपाल से दर्ज हुआ था, अतः प्रार्थी का नाम रजनीश कुमार सही किया जाना उचित है।

आदेश

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थनापत्र का गहन अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों शपथ पत्र एवं तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर चक 4 एचडीपी के खाता स. 41 प० न० 32/262 (58) की 2.100 है० व प.न. 4/262(59) की 6.325 है० कुल 8.425 है नहरी मय गै. मु: खाला में प्रार्थी रजनी कुमार पुत्र मैनपाल 1/18 हि. जाति विश्नोई सा० लखासर खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसके स्थान पर रजनीश कुमार पुत्र मैनपाल किया जाता है शेष खाता हक्क व हिस्सा राजस्व रिकार्ड यथावत रहेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 09/07/2025. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा हनुमानगढ़